



मत्तेव चयते

आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ११४। नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर ३१, १९९९/पौष १०, १९२१

No. ११४। NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1999/PAUSA 10, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, २९ दिसम्बर, १९९९

सं. न. १/१८(२८)/९९-सी.ई.आर.सी.—विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, १९९८ (१९९८ का अधिनियम १४) की भारा ५५ द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

॥। इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग [परामर्शदाताओं की नियुक्ति] विनियम, १९९९

कहा जाएगा।

॥।। ये विनियम दिनांक २१ सितम्बर, १९९९ से प्रवृत्त होते।

२. परिभाषाएँ

॥। इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो—

〔क〕 'अधिनियम' से तात्पर्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, १९९८ है।

〔ख〕 'आयोग' से तात्पर्य अधिनियम की धारा ३ ॥। के तहत गठित केन्द्रीय आयोग से है।

〔ग〕 'परामर्शदाता' में कोई व्यक्ति, फर्म, निकाय या एसोसिएशन अथवा व्यक्ति जो इस आयोग में
कार्यरत नहीं है तथा जिसके पास कोई विशिष्ट जानकारी, अनुभव या दक्षता है, समाविष्ट है।

〔घ〕 'अधिकारी' से तात्पर्य इस आयोग का कोई अधिकारी है।

〔ड〕 'संचिव' से तात्पर्य आयोग का संचिव है।

॥१॥ इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया जा रहा है किन्तु अधिनियम में वे परिभाषित हैं, कि वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

३. कार्यक्षेत्र

॥१॥ परामर्शदाताओं की नियुक्ति सामान्यतः दिन-प्रतिदिन के नेपी कार्य जिनके लिए स्टाफ उपलब्ध है, के लिए नहीं की जाएगी ।

॥२॥ परामर्शदाताओं को विशिष्ट कार्य, जिनके लिए या तो आयोग में नियुक्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है बथवा वहां पर कार्य की किसी विशिष्ट और सुमयबद्ध है, के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

॥३॥ प्रत्येक मामले में परामर्शी सेवाएं प्रयोग करने से पहले परामर्शदाता और आयोग के बीच सहमति के अनुसार स्थिरता शर्त तय की जाएंगी ।

॥४॥ विनियोजन की शर्तों में परामर्शदाता द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्य की सही किस्म, प्रत्येक कार्य की पूर्णता के लिए अनुज्ञेय समय तथा प्रत्येक कार्य के संबंध में परामर्शदाता द्वारा पूर्ण किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

४. विनियोजन की अवधि

परामर्शदाताओं को न्यूनतम अपेक्षित अवधि के लिए विनियोजित किया जाएगा । किसी भी मामले में अधिकतम विनियोजन अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

५. परामर्शदाताओं का वर्गीकरण

॥१॥ परामर्शदाताओं को नीचे दी आई सारणी के अनुसार उनकी सुविज्ञता तथा अनुभव के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा:-

श्रेणी	न्यूनतम अवधि	न्यूनतम अनुभव
सत्राहकार	दर्जनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	15 वर्ष
सत्राहकार	स्नातकोत्तर उपाधि	18 वर्ष
वरिष्ठ परामर्शदाता	दर्जनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	8 वर्ष
वरिष्ठ परामर्शदाता	स्नातकोत्तर उपाधि	12 वर्ष
परामर्शदाता	दर्जनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	3 वर्ष
परामर्शदाता	स्नातकोत्तर उपाधि	5 वर्ष

गोट: उपरोक्त विवरणों द्वारा इन्हें जारी की जाने वाली अंतिक वोग्यताएं संगत व्याख्यातिक विवरण होंगी ।

॥२॥ आयोग उपयुक्त मामलों में, लिखित रूप में कारबों को अमिलेख-बद्ध करके, परामर्शदाता के रूप में विचार किए जा रहे व्यक्ति की समग्र सुविज्ञता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अधिक योग्यता में छूट दे सकता है।

6. शुल्क एवं बन्य प्रभार

॥३॥ प्रत्येक श्रेष्ठी के परामर्शदाता को नीचे दी नई दरों पर एक समेकित शुल्क देय होगा।

॥४॥ समेकित शुल्क के अलावा कोई बन्य अदायगी नहीं की जाएगी। अपवाद के रूप में आकस्मिक खर्चों के लिए अतिरिक्त राशि जो देय शुल्क की 10 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी, का भुक्तान किया जा सकता है।

॥५॥ जिन मामलों में परामर्शदाताओं को यात्रा तथा निवास स्थान से दूर रहने के कारण अधिक खर्च करना पड़ता है, उनमें आयोग नीचे सारणी में यथा-इंविट अतिरिक्त खर्च की दैनिक भत्ते के रूप में एकमुश्त राशि में प्रतिपूर्ति करेगा जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले में यथा-समुचित होगा। यात्रा की लाभता की प्रतिपूर्ति समुचित यात्रा श्रेष्ठी द्वारा अलग से की जाएगी जो भारत सरकार के 'क' श्रेष्ठी के राजपत्रित अधिकारी के लिए बनुज्ञेय श्रेष्ठी से कम नहीं होगी।

श्रेष्ठी	प्रति श्रम दिवस शुल्क	दैनिक भत्ते के लिए प्रतिदिन एकमुश्त राशि
सलाहकार	3000/- रुपए	2000/रुपए
वरिष्ठ परामर्शदाता	2000/रुपए	1500/रुपए
परामर्शदाता	1200/- रुपए	1000/रुपए

॥६॥ देय शुल्क इन विनियम परामर्शदाताओं के रूप में विनियोजित पूर्व तथा सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होते।

॥७॥ एक संस्थागत परामर्शदाता के मामले में अलम-अलम परामर्शदाताओं की विभिन्न श्रेष्ठियों के लिए दरों को प्रस्ताव में परामर्शदाता समय के लिए आवृद्ध लाभत के औचित्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। परामर्शदाता समय के लिए लागत के अलावा टेलीफोन, फोटो कापी, फैक्स पर खर्च आदि जैसे कार्यालय व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च के रूप में देय शुल्क की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि

स्वीकार्य होगी। संस्थान परामर्शदाता के मामले में आकस्मिक छवि के लिए सीमा, कार्यालय व्यय की अनुमति अधिकारी द्वारा तैयार की जाएँगी तथा उसे आयोग का अनुमोदित ढंग के सिए संचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

[1] विशिष्ट कार्यों के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु जर्ते एवं निबन्धन, आयोग के एक अधिकारी द्वारा तैयार की जाएँगी तथा उसे आयोग का अनुमोदित ढंग के सिए संचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

[2] सचिव प्रस्ताव को आयोग के विचारण प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि इसके लिए बजटीय प्रबंधान है।

[3] जर्ते एवं निबन्धन में वर्धित सेवाएं उपलब्ध बजट के समरूप होंगी।

[4] आयोग यह निर्णय करेगा कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों को संयुक्त रूप में आमंत्रित किया जाए अथवा दोनों को पृथक रूप में आमंत्रित किया जाए।

[5] आयोग तकनीकी नियिदाओं के लिए न्यूनतम अर्हताएं नियमित करेगा।

[6] आयोग द्वारा जर्ते, एवं निबन्धन के अनुमोदन के पश्चात, सचिव इच्छुक परामर्शदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाने वाला अनुरोध पत्र तैयार करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मामले में व्यापक प्रचार किया जाए। तथापि, उन मामलों में सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक नहीं होगा जिनमें शुल्क मूल्य दो लाख रुपए से कम हो।

8. प्रस्तावों के लिए अनुरोध

किसी प्रस्ताव के लिए अनुरोध में निम्नलिखित समाविष्ट होगा:-

[क] परामर्शी सेवाओं के प्रबंधान के लिए अनुबंध करने, नियि स्रोत, योजना का विवरण तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तारीख, समय और पता बताते हुए आयोग का एक आमन्त्रण पत्र।

[घ] परामर्शदाताओं के लिए सूचना में वह सभी आवश्यक सूचना निहित होगी जिससे परामर्शदाताओं को मूल्यांकन प्रक्रिया पर सूचना मुहैया करनाकर तथा मूल्यांकन मानदंड और मुषक संबंधित जानकारी व न्यूनतम पूर्व-अर्हता अंक का उल्लेख करके अनुक्रियात्मक प्रस्ताव तैयार करनेमें सहायता मिले।

|३| इसके को विनियोजन के उद्देश्य तथा कार्यक्षम और विद्यमान संगत विषयों की सूची समेत पूर्व प्राप्ति सूचना व परामर्शदाताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने में सुविधा हेतु आधारभूत डाटा को स्पष्ट परिचित करके तैयार किया जाएगा। अगर जानकारी हस्तांतरण, प्रशिक्षण उद्देश्य है तो इसमें प्रशिक्षित किए जाने वाले स्टाफ सदस्यों की संख्या दी जाएगी। इसमें सेवाओं तथा विनियोजन के लिए किए जाने वाले वावश्यक सर्वक्षणों और प्रत्याख्यात परिणामों [उदाहरणार्थ, रिपोर्ट, डाटा, सर्वक्षण आदि] की सूची होगी।

|४| प्रारूप अविवाचित-र में फल-प्रपत्र के बन्नुस्पष्ट होनी।

9. प्रस्तावों की प्रपत्रिति

|१| परामर्शदाताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यद्यपि अनुशेय अवधि विनियोजन पर निर्भर करेगी, तथापि यह अवधि दो सप्ताह से कम नहीं होनी चाहिए जिसके द्वारा इसमें प्रारूपित सूचना के बारे में फर्म स्पष्टीकरण माँग सकती है।

|२| आयोग अबर उचित समझता है तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ा उकता है।

|३| आयोग द्वारा नियुक्त एक वार्ता समिति के अलावा समय-सीमा के पश्चात तकनीकी अवधि वित्तीय प्रस्ताव में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएंगे। जिन मामलों में आयोग यह विनियोगित करता है कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव अलृ-अलृ प्रस्तुत किए जाने हैं तो वे पृष्ठक मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएंगे।

10. प्रस्तावों का मूल्यांकन

प्रस्तावों का मूल्यांकन युष्मत्ता तथा लाभ दोनों के आधार पर किया जाएगा। जिन मामलों में आयोग यह निर्णय लेता है कि प्रस्तावों को तकनीकी तथा वित्तीय आधार पर अलृ-अलृ मूल्यांकित किया जाना है तो तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकों द्वारा जब तक तकनीकी मूल्यांकन पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक वे वित्तीय प्रस्तावों को नहीं देख सकेंगे।

III. तकनीकी मूल्यांकन

[1] तकनीकी मूल्यांकन, आयोग द्वारा नामित एक समिति द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । प्रत्येक मानदंड को । से 100 तक के प्रमाणे पर चिह्नित किया जाएगा तथा उब प्रत्येक मानदंड के लिए बंकों की औसत का निम्नलिखित परिसीमाओं में तकनीकी निर्लेखन के लिए तोलन किया जाएगा जिसे प्रत्येक प्रस्ताव के लिए तोसित औसत तकनीकी निर्लेखन के परिकलन के लिए आयोग के अनुमोदन से तकनीकी समिति द्वारा प्रमुख किया जाएगा:-

मानदंड	तोलन परिसीमाएँ
विनियोजन के लिए परामर्शदाता का संभव अनुभव	0.10 से 0.20 तक
प्रस्तावित पद्धति-विज्ञान की मुण्डता	0.20 से 0.50 तक
प्रस्तावित मुख्य स्टाफ की अर्हताएँ	0.30 से 0.60 तक
आयोग के स्टाफ को जानकारी हस्तांतरण की सीमा	0.00 से 0.05 तक

नोट: आयोग द्वारा अनुमोदित भार-मिश्र का योग 1 होना चाहिए ।

[3] जिन मामलों में विनियोजन, मुख्यतः मुख्य स्टाफ के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है वहाँ प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड अपनाकर नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित स्टाफ की अर्हताओं के अधार पर किया जाएगा:-

[क] सामान्य अर्हताएँ: सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण, अनुभव की अवधि, धारित पद, परामर्शदात्री फर्म के साथ स्टाफ के रूप में सेवा अवधि, विकासशील देशों में अनुभव आदि ।

[ख] विनियोजन के लिए पर्याप्तता: शिक्षा, प्रशिक्षण, विशिष्ट उद्योग, क्षेत्र, विषय में अनुभव तथा विशिष्ट विनियोजन के लिए संगतता ।

[३] देशीय बनुमतः स्थानीय/देशीय स्तर पर प्रांगणिक तंत्र, संबंध तथा संकृति की
जानकारी ।

[४] रकनीकी मूल्यांकन पूर्ण हो जाने के पश्चात आयोग उन परामर्शदाताओं का जिनके प्रस्ताव
न्यूनतम अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते अथवा जिन्हें झर्ता के बनुकूल नहीं समझा जाया है, को सूचित
करेगा और चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उनके वित्तीय प्रस्तावों को बिना खोले वापिस लौटा देगा ।
इसके साथ-साथ, उन परामर्शदाताओं जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करते हैं, उन परामर्शदाताओं
को अबर वह इच्छा रखते हैं, तो वित्तीय प्रस्तावों को खोलने के समय पर उपस्थित रहने के लिए पर्याप्त
समय रहते सूचित करेगा ।

12. वित्तीय मूल्यांकन

[१] पूर्व-अर्हता प्राप्त परामर्शदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से खोले जाएंगे ।
प्रस्तावित मूल्यों को ऊँची आवाज में पढ़ा जाएगा तथा उनका अभिलेखन सार्वजनिक बोली के कार्यवृत्त में
किया जाएगा ।

[२] सचिव वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । अण्ठीय त्रुटियों
को ठीक किया जाएगा । एक समान विक्रय [विनिमय] दरों का प्रयोग करके लाभत को एक ही मुद्रा में
परिवर्तित किया जाएगा ।

[३] न्यूनतम लाभत वाले प्रस्ताव को 100 का वित्तीय अंक दिया जाएगा तथा अन्य प्रस्तावों
को उनके मूल्यों के प्रतिलोम अनुपात में वित्तीय अंक दिए जाएंगे ।

13. वित्तीय एवं तकनीकी अंकों का मूल्यांकनः

[१] कुल अंक, तकनीकी तथा वित्तीय अंकों के तोलन तथा उन्हें जोड़कर प्राप्त किए जाएंगे ।
वित्तीय अंक के लिए तोलन, विनियोगन की जटिलता तथा बुपवत्ता के सम्बद्ध महत्व को ध्यान में
रखकर प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा निर्धारण के अनुसार होगा । तथापि, किसी भी मामले में वित्तीय अंक
तोलन 0.3 से अधिक नहीं होगा ।

[२] तकनीकी तथा वित्तीय मामलों के लिए आयोग एक वार्ता समिति नियुक्त कर सकता है ।
जहाँ तकनीकी पहलुओं पर चातवीत की जानी अपेक्षित हो उसे परामर्शदाताओं की पूर्व-अर्हता से पहले ही
पूर्ण कर लिया जाएगा । वित्तीय पहलुओं पर चातवीत, स्टाफ महीनों के लिए यूनिट दर, बाकसिमिकता
यात्रि, यात्रा तथा निर्वाह व्यय की प्रतिपूर्ति की एकमुश्त यश्च तथा अदायगी झर्ता समेत वित्तीय प्रस्ताव
के किसी भी पहलू हेतु की जा सकती है ।

[3] आयोग सभी प्रस्तावों को उत्तीर्णे के अनुप्रलङ्घन में बहुत कमियाँ अथवा उनमें गूढ़ जाकलन से बहुत अधिक लाभ लेने के कारण प्रतिकूल या अनुपयुक्त पाने पर निरस्त कर सकता है।

14. एकल स्रोत चयन

एकल स्रोत चयन प्रक्रिया का प्रयोग केवल विशिष्ट मामलों में ही किया जाएगा जहाँ उपयुक्त तथा स्पष्ट लाभ परिलक्षित होता हो क्योंकि कार्य, परामर्शदाता द्वारा किए गए पिछले कार्य के अनुक्रम में है, अथवा जहाँ पर शीघ्र चयन किया जाना अनिवार्य है अथवा एक बहुत कम विनियोजन है जहाँ प्रत्येक मामले में देय शुल्क दो लाख रुपए से अधिक नहीं है अथवा केवल एक फर्म की अहता प्राप्त है अथवा वह विनियोजन के लिए अनुभव रखती है।

15. परामर्शदाता विशेष का चयन

प्रत्येक परामर्शदाता की नियुक्ति उन विनियोजनों के लिए की जाएगी जिनके लिए कार्मिकों के दल एवं कोई अतिरिक्त बाहरी [गृह कार्यालय] व्याकाशमयिक सहायता न हो तथा संबंधित व्यक्तिस का अनुभव तथा योग्यता ही अत्यधिक महत्व रखता हो।

[2] परामर्शदाता विशेष का चयन विनियोजन के लिए उसकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उनका चयन, सन्दर्भ अथवा विनियोजन में स्वीच व्यक्त करने वाले अथवा आयोग द्वारा सीधे ही बुलाए गए व्यक्तियों की योग्यता की तुलना के माध्यम से किया जाएगा। कार्यशक्ति का अधिनिर्णय, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव तथा स्थानीय परिस्थितियों, प्रश्नानिक तंत्र तथा सरकारी संगठन की जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

16. हित-टकण

परामर्शदाताओं को किसी भी ऐसे विनियोजन के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जिससे उनके अन्य ग्रहकों के प्रति पूर्व अथवा वर्तमान दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा वे विनियोजन का निर्वाह निष्ठापूर्वक तथा निष्पक्ष रूप से न कर सकें।

17. आयोग की अंतर्निहित शक्ति

ये प्राक्कान आयोग को इन विनियोजनों के किसी भी प्राक्कान से मिन्न प्रक्रिया को अपनाने से रोक

नहीं उच्च योगे । अब आयोग किसी यात्रे अथवा यात्रों की बेंगी की विशेष वृग्णियों को दृष्टि
में रखते हुए क्या कारणों को सिखित रूप में अधिकैशबद्ध करके ऐसा करना आवश्यक यमझता है ।

18. संज्ञेन संज्ञी यापान्य छक्ति

आयोग किसी भी समय तक ऐसी जल्दी पर जैगा वह उपकृत समझे, इन विनियमों को तैयार
करने के उद्देश्यों की प्रकृति हेतु इन विनियमों के किसी भी प्राक्कान को संशोधित कर सकता है ।

19. कठिनाइयों को दूर करने संज्ञी छक्ति

अब इन विनियमों के किसी प्राक्कान को प्रभावी रूप से तात्पुर करने में कोई कठिनाई उत्पन्न
होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोगन के लिए
विधिनियम के प्रक्कानों के साथ बिना असंतत हुए आवश्यक अथवा समीक्षीय जैसी ठीक लारे, कार्रवाई कर
सकता है ।

अनुसूची - ।
-

.....के एक पश्च तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग [इसके पश्चात इसका संदर्भ 'आयोग'] दूसरे पश्च के बीचगाह के दिन....., को हुए करार के अनुच्छेद ।

जबकि आयोग ने प्रथम पश्च पार्टी को एक परामर्शदाता के रूप में विनियोजित किया है तथा प्रथम पश्च पार्टी इसके आगे निहित निर्बंधन एवं झर्ता पर आयोग को परामर्शी सेवाएँ देने के लिए सहमत है ।

अब ये साथी प्रस्तुत करते हैं तथा दोनों संबंधित पश्च निम्नवत् रूप से सहमत हैं :-

1. प्रथम पश्च आयोग तथा इसके अधिकारियों एवं प्राधिकारियों जिनके मात्रहत आयोग समय-समय पर उन्हें रखेगा, के आदेशों का पालन करेगा ।

2. प्रथम पश्च अनुबंध 'क' में यथानिहित कार्य को.....से शुरू करके.....की अवधि में पूरा करेगा ।

3. प्रथम पश्च को निम्नवत् भुगतान किया जाएगा:-

4. अदायगी कार्यक्रम निम्नकरूप होगा:

5. परामर्शी कार्य के संबंध में स्थानीय यात्रा के लिए प्रथम पश्च को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

6. प्रथम पश्च आयोग द्वारा अथवा आयोग के निर्देश पर किसी अन्य संबंधन द्वारा दी भई सूचना तथा आंकड़ों को किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा । ऐसे सभी दस्तावेज और विनियोजन पर रहने के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उसकी जानकारी में आने वाली इस प्रकार की अन्य सूचना आयोग की सम्पत्ति होगी ।

7. प्रथम पश्च यह वंचन देता है कि इस विनियोजन का उसके अन्य ग्राहकों के प्रति उसके पूर्व अथवा वर्तमान दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही उसे इस विनियोजन के जिम्मेवारीपूर्वक तथा निष्पत्ति निर्वाह में परेशानी होगी ।

8. प्रथम पक्ष द्वाय कार्य के किसी भाष को ऊपर दोनों पक्षों में यथा-समय-अनुसूची के भीतर पूछ न किए जाने की अवस्था में दूसरा पक्ष उस कार्य को किसी अन्य अभिकरण से प्रथम पक्ष के जोखिम तथा लाश्त पर पूछ करवा लेने के लिए स्वतंत्र होता ।
9. इस कहार के बारे में दोनों पक्षों के बीच कोई मतभेद या विवाद होने पर उसे आयोग द्वारा नग्मित मध्यस्थ को भेजा जाएगा । यह कार्रवाई समय-समय पर यथा-संशोधित मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के तहत की जाएगी ।
10. प्रथम पक्ष को शुल्क का भुक्तान, उस समय लाभू कानून के अनुरूप स्रोत पर आयकरकर्तौती के पश्चात किया जाएगा ।
11. आयोग को बिना कोई कारण बताए परामर्शदाता के विनियोजन पर प्रतिबंध लगाने, उसे समाप्त अथवा निरस्त करने का अधिकार होता । इस प्रकार के मामलों में प्रथम पक्ष को इस प्रकार के प्रतिबंध, समापन अथवा निरस्तीकरण से पूर्व पूरे किए गए कार्य पर विचार करके प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसका निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं नाभ्य होगा । इस प्रकार के मामले में निर्धारित तथा प्रदत्त प्रतिपूर्ति, अंतिम बदायगी के रूप में मानी जाएगी ।
12. किसी ऐसे मामले जिसका प्राक्कान इस कहार में नहीं किया गया है, के संबंध में परामर्शदाताओं के विनियोजन के विषय में सरकार के सामान्य अनुदेशों के प्राक्कानों को लाभू किया जाएगा ।

प्रथम पक्ष तथा आयोग की ओर से.....उपर्युक्त के साक्षी के रूप में ऊपर लिखित दिन तथा वर्ष को सहमत हुए ।

.....की उपस्थिति में प्रथम
पक्ष.....द्वाय हस्ताक्षरित ।

.....की उपस्थिति में आयोग के लिए
तथा आयोग की ओर से.....द्वाय हस्ताक्षरित ।